

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रोवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

S/10
25/7/23

गृह अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 25 जुलाई, 2023

विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-47/2023 'बंदीरक्षक संवर्ग को पौष्टिक आहार भत्ता रू0 1000/- अनुमन्य किया जायेगा', के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2982/155/पौष्टिक आहार भत्ता/2016, दिनांक 28-02-2023 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-47/2023 'बंदीरक्षक संवर्ग को पौष्टिक आहार भत्ता रू0 1000/- अनुमन्य किया जायेगा' के क्रियान्वयन हेतु कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत बंदीरक्षक संवर्ग को निम्नानुसार पौष्टिक आहार भत्ता प्रतिमाह अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पौष्टिक आहार भत्ता
1.	प्रधान बंदीरक्षक (महिला/पुरुष)	रू0 1000/-
2.	बंदीरक्षक (महिला/पुरुष)	रू0 1000/-

2- इस पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के सुसंगत मानक मद/इकाई के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के ई-पत्रांक-1/139766/2023, दिनांक 21 जुलाई, 2023 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Atar Singh
Date: 25-07-2023 17:01:22

(अतर सिंह)
अपर सचिव

संख्या- /XX-2/2023-1(23)/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. अनु सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग-5 व 7, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

Signed By Vijay Kumar
Date: 25-07-2023 17:10:31
(विजय कुमार)
उप सचिव